

प्रेश,

हिम प्रकाश, मुक्त,
संयुक्त राज्य,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
एडिफिशिय-2, लखनऊ,
प्रति विहार, पटना ।

विज्ञापन 171 अनुभाग

लखनऊ: दिनांक:

60 मई,

2005

विषय:-

ओमप्रिया कॉन्वेंट इन्स्टीट्यूट मेरठ रोड, मोरहा, नाथियाबाद को
सी०बी०एस०ई०नईदिल्ली के संबद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया
जाना ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कठने
का निर्देश हुआ है कि उक्त संदर्भित विद्यालय को **सी०बी०एस०ई०** नईदिल्ली से
संबद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने में इस राज्य सरकार की निम्नलिखित
प्रतिबंधों के अधीन अनापत्ति नहीं है:-

- 111 विद्यालय की पंजीकृत सौतापट्टी का समय-समय पर नवीनीकरण कराया
जायेगा ।
- 121 विद्यालय की प्रबंध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य
होगा ।
- 131 विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के
स्थावीर वर्गों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे 30प्र० आ० शिक्षा परिषद
द्वारा संवाहित विद्यालयों में विभिन्न वर्गों के लिए निर्धारित शुल्क
से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा ।
- 141 संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की माँग नहीं की जायेगी
और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद अथवा क्षेत्रिक शिक्षा
परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की संबद्धता केन्द्रीय माध्यमिक
शिक्षा परिषद/कोसित फार दि इण्डियन स्कूल सर्टिफिकेट इकायमिशन
नईदिल्ली से प्राप्त होती है तो उस परीक्षा वर्ष से उक्त केन्द्रीय
परिषदों की संबद्धता प्राप्त होने की तिथि से 30प्र० माध्यमिक शिक्षा
परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्यसरकार से प्राप्त अनुदान
स्वतः संप्राप्त हो जायेंगे ।

---2---

-2-

- 151 संस्था/शिक्षक एवं शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त
शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुसूचित वेतनमानों तथा अन्य भत्तों
से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे ।
- 161 कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायीं जायेंगी और उन्हें सहायता प्राप्त
असासनीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुसूचित
सेवानिवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे ।
- 171 राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे
संस्था उनका पालन करेगी ।
- 181 विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/पंजीकों में रखा जायेगा ।
- 191 उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/
संशोधन/परिवर्तन नहीं किया जायेगा ।

उक्त प्रतिबंधों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और
यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबंधों का पालन
नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की बूक या शिथिलता
बरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले
लिया जायेगा ।

भवेदीप,

हिम प्रकाश मुक्त ।
संयुक्त राज्य ।

पू०संख्या एवं दिनांक तैय

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

प्रेषित :-

- 1- शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
- 2- मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, मेरठ ।
- 3- जिला विद्यालय निरीक्षक, नाथियाबाद ।
- 4- निरीक्षक, अंग्रेज भारतीय विद्यालय 30प्र०, लखनऊ ।
- 5- प्रबंधक, ओमप्रिया कॉन्वेंट इन्स्टीट्यूट, मेरठ रोड, मोरहा, नाथियाबाद ।
- 6- गार्ड फ़ाइल ।

आदेश में

हिम प्रकाश मुक्त ।
संयुक्त राज्य ।